राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

कमांक एफ 10(7)ग्रावि/ नरेगा /संविदा/2010 जयपुर, दिनांक 16 SEP 2011

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम,
समस्त (राजस्थान)

विषयः—महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिको के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला/पंचायत समिति/ ग्राम पंचायतो में संविदा के आधार पर पदो का सृजन कर संविदा कार्मिको का नियोजन कार्य की मांग एवं आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

यह जानकारी में आया है कि यहां से बार बार निर्देशों के बाद भी इन कार्मिको को प्रत्येक माह की पहली तारीख को मानदेय का भुगतान नही किया जा रहा है। यदि इनका कार्य सन्तोषजनक पाया गया हैं तथा इनकी अनुबन्ध अवधि अगले वर्ष के लिए बढाई गई है तो इन्हें प्रति वर्ष 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यात्रा भत्ते का भुगतान भी समय पर नही किया जा रहा है। कृपया आपसे अनुरोध है कि इस विभाग के निर्देशानुसार संविदा कार्मिकों को वेतन भुगतान, वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं यात्रा भत्ते का भुगतान भी समय पर किया जावे।

भवदीय

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस